

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 509/2018

वाद

भोपाल सिंह राजपूत

// बनाम //

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

दावा धारा 88, 209 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 17.02.2020

पत्रावली पेश हुई । वकील वादी अनुपस्थित । वकील वादी एवं वादी को तीन बार आवाज लगाई गई। अन्तिम आवाज 05:30 P.M. पर लगाई गई। उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

